न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र 3जी (5) संख्याः 23/2019

दायर दिनांकः 03.06.2019

आदेश दिनांक 05.03.2020

—:अनवानः—

श्रीमती शेरबानु उर्फ बानु बेगम पत्नी श्री मोहम्मद खां, जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी रेल्वे स्टेशन कुंवारिया तहसील व जिला राजसमन्द

प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

एवार्ड क्रमांक 3014/दिनांक 28.08.2014

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी

2— श्री गिरिश तिवारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01

3— श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की ग्राम कुंवारिया तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 2022 व 3520/2022 रकबा क्रमशः 2080 व 1619 वर्गमीटर भूमि को भूमि अवाप्ति मे सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 300 रूपये प्रति वर्गमीटर से भी अधिक है जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मात्र 2,89,336/—रूपये ही तय किया गया है। जो कि 78/—रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 3699 वर्गमीटर अवाप्त की गयी है। उस पर 300/—प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा देय होता है लेकिन प्रार्थीया को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है। न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण राशि देय होती है जो भी अदा नहीं की गयी है। मुआवजा केवल मनमकसूद तरीके से तय किया गया है। प्रार्थीया की सारी भूमि अवाप्त हो चुकी है। लेकिन मुआवजा मात्र 2,89,336/—रूपये ही तय किया गया है। जो बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है। जबकि यह भूमि प्रार्थीया द्वारा खरीदशुदा है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही मे मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक अवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय मे जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय मे भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये गये है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थीया को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशा निर्देशानुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये है लेकिन उक्त प्रकरण मे भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थीया की मुआवजा राशि तय करवायी जावें तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत–प्रतिशत तोषण राशि भी प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी है। इस हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि 2,89,336/–रूपयें नियमानुसार तय किया है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। प्रार्थीया वर्तमान बाजार दर से राशि चाहती है। जो देय नहीं है। मुआवजा तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर से तय कर भुगतान किया है। जो सही है। प्रार्थीया को RFCTLARR,ACT 2013 के तहत भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि Morth के परिपत्र नं. NH- 11011/30/2015 /L.A./ नई दिल्ली के पेरा 4.6 (सी) के अनुसार जिन ग्रामों में दिनांक 31.12.2014 से पूर्व 50 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है उन्हे RFCTLARR,ACT 2013 के तहत अब कोई राशि देय नहीं है। मानसिंह के प्रकरण में जारी निर्देश इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। प्रार्थीया जिस भूमि का मुआवजा चाहती है निर्धारित डी0एल0सी0 दर से तय कर अवार्ड जारी कर भुगतान कर दिया गया है। RFCTLARR,ACT 2013 के तहत अब कोई राशि देय नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीया की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार निर्धारित डी0एल0सी0 दर से तय कर जारी कर भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीया को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है। न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण राशि देय होती है जो भी अदा नहीं की गयी है। मुआवजा केवल मनमकसूद तरीके से तय किया गया है। प्रार्थीया की सारी भूमि अवाप्त हो चुकी है। लेकिन मुआवजा मात्र 2,89,336/–रूपये ही तय किया गया है। जो बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है। जबकि यह भूमि प्रार्थीया द्वारा खरीदशुदा है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही मे मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक अवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय मे जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय मे भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे उसके बावजूद भी प्रार्थीया को उक्तानुसार मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया है कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि 2,89,336/–रूपयें नियमानुसार तय किया है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। प्रार्थीया वर्तमान बाजार दर से राशि चाहती है। जो देय नहीं है। मुआवजा तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर से तय कर भुगतान किया है। जो सही है। प्रार्थीया को RFCTLARR,ACT 2013 के तहत भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि Morth के परिपत्र नं. NH- 11011/30/2015 /L.A./ नई दिल्ली के पेरा 4.6 (सी) के अनुसार जिन ग्रामों में दिनांक 31.12.2014 से पूर्व 50 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है उन्हे RFCTLARR,ACT 2013 के तहत अब कोई राशि देय नहीं है। मानसिंह के प्रकरण में जारी निर्देश इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। प्रार्थीया जिस भूमि का मुआवजा चाहती है निर्धारित डी0एल0सी0 दर से तय कर अवार्ड जारी कर भुगतान कर दिया गया है। RFCTLARR,ACT 2013 के तहत अब कोई राशि देय नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीया की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार निर्धारित डी0एल0सी0 दर से तय कर जारी कर भुगतान किया जा चुका है।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया तथा अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीया को परिपत्र नं. NH- 11011/30/2015 /L.A./ नई दिल्ली के पेरा 4.6 (सी) के अनुसार जिन ग्रामों में दिनांक 31.12.2014 से पूर्व 50 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है उन्हे RFCTLARR,ACT 2013 के तहत अब कोई राशि देय नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को उक्त परिपत्र के अनुसार भुगतान नही बनने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र परिपत्र के अनुसार भुगतान नही बनने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है

आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अवाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 05.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)